क्रम-संख्या-214

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 5 अप्रैल, 1986

चैत्र 15, 1908 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 770/सत्रह-वि-1-1(क)-23/1986

लखनऊ, 5 अप्रैल, 1986

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1986 पर दिनांक 5 अप्रैल, 1986 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1986 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1986

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1986]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा।

(2) यह अधिनियम दिनांक 1 अप्रैल, 1986 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:--

"(झझ) 'परिवार का सदस्य' का तात्पर्य सभा या परिषद् के किसी सदस्य के सम्बन्ध में, चाहे वह खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या नहीं, उसके पति या उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहिन से है जो ऐसे सदस्य के साथ निवास करता हो और उस पर पूर्णतया आश्रित हो,"

धारा 4 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 4 में, शब्द "एक हजार दो सौ पचास" के स्थान पर शब्द "एक हजार छः सौ" रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का प्रतिस्थापन

4--मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्--

रेल कूपन

"5--इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभा या परिषद् के प्रत्येक सदस्य को, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में किसी पद पर आसीन हो या नहीं, पच्चीस हजार रुपये से अनधिक मूल्य के रेल कूपन प्रति वर्ष विहित रीति से दिये जायेंगे, जो ऐसे सदस्य के द्वारा अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए किसी रेल से किसी श्रेणी में किसी समय उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर यात्रा के लिए ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो विहित किये जायं, उपयोग में लाये जा सकते हैं।

स्पष्टीकरण--इस धारा में निर्दिष्ट रेल यात्रा के लिए रल कूपन का मूल्य राज्य सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड के परामर्श से समय-समय पर निर्धारित किया जायगा।"

धारा 6 का निकाला जाना

5--मूल अधिनियम की धारा 6 निकाल दी जायगी।

धारा 7 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 7 में शब्द "प्रथम श्रेणी में" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 8 का निकाला जाना

7--मूल अधिनियम की धारा 8 निकाल दी जायगी।

धारा 9 का प्रतिस्थापन

8--मूल अधिनियम की धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:--

मंत्री, अध्यक्ष आदि द्वारा यात्रा

"9--धारा 5 में निर्दिष्ट रेल कूपन का उपयोग प्रत्येक सदस्य द्वारा जो धारा 2 के खण्ड (झ) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन है, अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए शासकीय कर्तव्यों के पालन से भिन्न प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर किसी भी समय किसी रेल द्वारा किसी श्रेणी में यात्रा के लिए विहित रीति से किया जा सकता है।"

धारा 11 और 12 का निकाला जाना

9--मूल अधिनियम की धारा 11 और 12 निकाल दी जायेगी।

नये अध्याय छः-क का बढ़ाया जाना

10--मूल अधिनियम में, अध्याय छः के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"अध्याय छः-क

चिकित्सा सुविधायें

18-क--सभा या परिषद् का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन हो या नहीं, ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो विहित किये जाएं, निम्नलिखित का हकदार होगा, अर्थात्:--

(क) राज्य सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी अस्पताल या औषधालय में प्रदान की जाने वाली बाह्य चिकित्सा और सुविधाओं के बदले में जिसके अन्तर्गत औषधियां भी हैं, चार सौ रुपये प्रतिमास की धनराशि का दिया जाना;

(ख) ऐसे अस्पताल में अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों के लिये, जिन्हें अस्पताल में चिकित्सा के लिये भर्ती करना अपेक्षित हो, निःशुल्क स्थान और चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराया जाना ।"

धारा 21 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 21 में, शब्द और अंक "धारा 5 और 6" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 5" रख दिये जायेंगे ।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव ।

No. 770 (2) /XVII-V-1—1 (KA) -23-1986

Dated Lucknow, April 5, 1986

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Uplabdhiyan Aur Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1986 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 1986) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 5, 1986.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 1986

[U. P. Act no. 13 of 1986]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980

It is hereby enacted in the Thirty-Seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1986.

(2) This Act shall be deemed to have come into force from April 1, 1986.

Amendment of section 2 of U.P. Act. no. 23 of 1980

2. In section 2 of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, hereinafter referred to as the principal Act, *after* clause (i), the following clause shall be *inserted*, namely—

"(ii) 'member of family' in relation to a member of Assembly or Council, whether or not he holds any office referred to in clause (i), means his or her spouse, son, daughter, father, mother, brother or sister, residing with and wholly dependent on such member ;"

Amendment of section 4

3. In section 4 of the principal Act, *for* the words "one thousand two hundred and fifty" the words "one thousand and six hundred" shall be *substituted*.

Substitution of section 5

4. *For* section 5 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely—

Railway coupons

"5. Subject to the provisions of this Act, every member of the Assembly or the Council, whether or not he holds any office referred to in clause (i) of section 2, shall be provided, in the manner prescribed, with railway coupons of such value, not exceeding twenty-five thousand rupees, per annum as may be used by such member for himself and for the members of his family for travel by any railway in any class at any time within or outside Uttar Pradesh in accordance with such principles as may be prescribed.

Explanation—The value of railway coupons for journeys by railway referred to in this section shall from time to time be determined by the State Goversment in consultation with the Railway Board."

Omission of section 6

5. Section 6 of the principal Act shall be *omitted.*

Amendment of section 7

6. In section 7 of the principal Act, the words "in first class" shall be *omitted.*

Omission of section 8

7. Section 8 of the principal Act shall be *omitted.*

Substitution of section 9

8. *For* section 9 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely—

Journey by Ministers, Speaker etc.

"9. The railway coupons referred to in section 5, may, in the manner prescribed, be used by every member who holds any office mentioned in clause (i) of section 2, for himself and members of his family for travel in any railway in any class at any time within or outside Uttar Pradesh for purposes otherwise than in discharge of official duties."

Omission of sections 11 and 12

9. Sections 11 and 12 of the principal Act shall be *omitted.*

Insertion of new Chapter VI-A

10. In the principal Act, *after* Chapter VI, the following chapter shall be *inserted*, namely—

"Chapter VI-A.

Med acilities

18-A. Every member of the Assembly or the Council, whether or not he holds any office mentioned in clause (i) of section 2, shall be entitled in accordance with such principles as may be prescribed,—

(*a*) to receive a sum of rupees four hundred per mensem in lieu of out-door medical treatment and facilities including medicines provided in a hospital or dispensary established or maintained by the State Government ;

(*b*) to get accommodation and treatment in such hospital, free of charge, for himself and members of his family who may be required to be admitted in the hospital for medical treatment."

Amendment of section 21

11. In section 21 of the principal Act, *for* the words and figures "sections 5 and 6" the word and figure "section 5" shall be *substituted.*

By order,

S. N. SAHAY,

Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 2 सा० (विधा०)—1986—850 (मेक०)।